न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 02/2019
दायर दिनांक :– 01/02/2019
निर्णय दिनांक :– 18/02/2020

अनवान

1. श्री जोरावर सिंह पिता श्री जालमसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी– बिनोल तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री माधवसिंह पिता श्री जालमसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी–बिनोल, तहसील व जिला राजसमन्द

————प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता श्री धुकलसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी– बिनोल तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री भभूतसिंह पिता श्री कल्याणसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी– बिनोल तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्री श्रवणसिंह पिता श्री कल्याण सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी– बिनोल तहसील व जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्तीकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 बाबत् विपक्षी संख्या 1 को मौजा ग्राम बिनोल, तहसील व जिला राजसमन्द की आराजी नम्बर 3806/1539 रकबा 2.00 बीघा व आराजी नम्बर 3807/1539 रकबा 8.05 बीघा भूमि– आवंटन पत्रावली संख्या 141/1962 के जरिये आवंटित हुई निरस्त कराने बाबत्

उपस्थित :–

1– श्री बसंत पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम बिनोल पटवार हल्का बिनोल तहसील राजसमन्द(कुंवारिया) जिला राजसमंद की आराजी नम्बर 3806/1539 रकबा 2.00 बीघा व आराजी नम्बर 3807/1539 रकबा 8.05 बीघा भूमि को विपक्षी संख्या 1 द्वारा गलत

रूपेण विधि विरूद्ध तरीके से मिसल संख्या 141 सन् 1962 द्वारा उसके नाम करवा लिया जिससे व्यथीत होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक रिकार्ड/2018/86 दिनांक 04.04.2018 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त मिसल 141/1962 रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी ग्राम बिनोल पटवार हल्का बिनोल तहसील राजसमन्द(कुंवारिया) जिला राजसमंद की आराजी नम्बर 3806/1539 रकबा 2.00 बीघा व आराजी नम्बर 3807/1539 रकबा 8.05 बीघा भूमि को विपक्षी संख्या 1 द्वारा गलत रूपेण विधि विरूद्ध तरीके से मिसल संख्या 141 सन् 1962 द्वारा उसके नाम करवा लिया। उक्त विवादाग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अपने बाप दादाओं के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की दिवार बना रखी हैं साथ ही उपजाऊ बनाते हुए काफी रूपये खर्च किये व उस पर आज दिनांक तक कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं प्रार्थीगण का कब्जा काफी पुराना हैं। अभी हाल में उक्त वर्णित कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 2 व 3 गुण्डे, बदमाशों का सहारा लेकर प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर कब्जा करने आये व प्रार्थीगण को एलानिया धमकिया दी गई कि यह भूमि हमनें विपक्षी संख्या 1 से खरीदी हैं अब यह भूमि हमारी हैं यहॉ से हट जावे अन्यथा गम्भीर वारदात हो जाएगी तब प्रार्थीगण को पता चला व राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया तो पता चला कि उक्त वर्णित कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 ने षड़यन्त्रपूर्वक, कपटपूर्वक साथ हीं बिना विधिवत् प्रक्रिया का पालन किये गलत रूपेण पूर्वक अपने नाम आवंटित करवा दी जिससे दुखी, पीड़ित व वयथित होकर प्रार्थीगण की ओर से यह आवंटन निरस्तीकरण की याचिका निम्नांकित आधारो पर प्रस्तुत की जा रही हैं जिसकी मिसल संख्या 141 सन् 1962 हैं। विपक्षी संख्या एक को किया गया आवंटन अवैध, विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिले निरस्त हैं। आवंटन से पूर्व राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमी आवंटन) नियम 1970 की पालना नहीं की गई एवं आवंटन के पश्चात भी विपक्षी संख्या एक ने नियमों की कोई पालना नहीं की हैं, जिससे आवंटन निरस्त योग्य हैं। कृषि भूमी के आवंटन से पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में वर्णित मेन्डेटरी प्रोविजन की पालना की जानी चाहिये। नियम 4 के तहत सार्वजनिक एवं राजकीय भूमि दर्शाई जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता हैं, नियम 6 के तहत वर्ग विशेष के व्यक्तियों को भूमि आरक्षित रखने का प्रावधान हैं, नियम 7 के तहत आवंटन से 30 या 15 दिन जो भी समय – समय पर जारी की गई विज्ञप्तियों में प्रावधान से पूर्व उद्घोषणा जारी किया जाता हैं, नियम 8 के तहत भूमीहीन कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, नियम 9 के तहत पंजीकृत किया जाता हैं। नियम 10 के तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच की जाती हैं, नियम 11 के तहत प्राथमिकता तय की जाती हैं, नियम 12 के तहत जो भूमी आवंटित की जाती हैं उसका निर्धारण किया जाता हैं व नियम 13 के तहत आवश्यक सलाहकार समिति का गठन किया जाता हैं। जो मेन्डेटरी प्रोविजन हैं उक्त आवंटन में उक्त मेन्डेटरी प्रोविजन का पालन नहीं करते हुए उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित हुई जो काबिले निरस्त होने योग्य होने से निरस्त किया जावे। विवादित भूमी पर प्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से काबिज हैं भूमि के चारों तरफ दीवार बनाई कब्जे काश्त हेतु लाखों रूपये खर्च कर भूमि को आबाद बनाया व निरन्तर आज दिन तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। यदि उद्घोषणा जारी की जाती व वस्तुतः जॉच की जाती तो प्रार्थीगण की कब्जे शुदा भूमि विपक्षी संख्या एक को आवंटित नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता हैं कि आवंटन गलत रूपेण तथ्यो को छिपाकर कपटपूर्ण रीति से

CK

जल्दबाजी में धोखा देकर करवाया जो निरस्त होने योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पता चला कि उक्त भूमि के आवंटन में साबिक आराजी नम्बर 935/2 रकबा 10 बीघा भूमि का मिसल संख्या 141/62 आवंटन के जरिये आवंटन बताया गया व उसी आधार पर रेकॉर्ड में करीब 11 वर्ष बाद 07.05.1973 को विपक्षी संख्या 1 का नाम गैर खातेदारी की हैसियत से गलत दर्ज किया गया व बाद में दिनांक 07.06.1975 को हाल आराजी नम्बर 1539/1 रकबा 2.00 बीघा, आराजी नम्बर 1539/2 रकबा 8.05 बीघा भूमी राजस्व रेकॉर्ड पर पूर्व गलत इन्द्राज के आधार पर गैर खातेदारी की हैसियत से विपक्षी संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि आराजी संख्या 1539 का साबिक आराजी नम्बर 935/1 साथ ही उक्त गलत दाखला के आधार पर सम्बत् 2031 से 2034 की जमाबंदी में आराजी नम्बर 3806/1539 रकबा 2.00 बीघा, आराजी नम्बर 3807/1539 रकबा 8.05 बीघा भूमी पर गैर खातेदारी दर्ज कर दी इस प्रकार करते हुए खातेदारी दर्ज कर दी जो अवैधानिक हैं। अर्थात आवंटन हीं गलत हैं तो उक्त राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इन्द्राज प्रारम्भतः शुन्य हैं। इस प्रकार आवंटन पत्रावली संख्या 66/65 व 494/65 आवंटन में विपक्षी संख्या 1 के पिता धुकलसिंह द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर यह आदेश हुआ। कि आवेदन पत्र प्रार्थी के परिवार में पर्याप्त भूमि होने से आवेदन पत्र खारिज फरमाये गये व कोई भूमि आवंटित हीं नही हुई वस्तुतः विपक्षी संख्या एक को कभी कब्जा भी सिपुर्द नहीं किया इस प्रकार यह आवंटन विपक्षी संख्या 1 ने गलत रूपेण तथ्यो को छिपाकर कपटपूर्ण रीति से जल्दबाजी में आवंटन धोखा देकर करवाया हैं जो निरस्त योग्य हैं। उक्त वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 08.12.15 को विपक्षी संख्या 2 व 3 को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया गया उस विक्रय पत्र में विपक्षी संख्या 1 की आयु 67 वर्ष अंकित की हैं। विपक्षी संख्या 1 को आवंटन सन् 1962 में होना बताया गया इससे स्पष्ट हैं कि 1962 में विपक्षी संख्या 1 की आयु मात्र 14 वर्ष हीं थी अर्थात वह नाबालिग को भूमि आवंटन कानुनन वैधता की पूर्ति हीं नही करता नाबालिग को भूमि आवंटन नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार का आवंटन प्रारम्भतः शुन्य हैं जो निरस्त योग्य हैं। इस प्रकार आवंटन हीं गलत हैं तो विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 के पक्ष में विक्रय पत्र 08.12.15 को निष्पादित किया जो प्रारम्भतः शुन्य हैं। आवंटन नियम 14 की कोई पालना नहीं की गई अर्थात् विपक्षी संख्या 1 ने प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग को नही जोता गया तथा शेष क्षैत्र को द्वितीय वर्ष में नही जोता गया, यहॉ तक कि कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कभी भी कब्जा हीं नही रहा। नियम 14(3) के तहत भूमि पर काश्त नही की गई हैं तो ऐसी सुरत में यह नही कहा जाएगा कि आवंटी का अब भी कब्जा हैं नियम 14(3) का उल्लंघन आवंटन निरस्त योग्य हैं और आवंटन कपटपूर्ण तरीके में हुआ हैं तो खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बाद भी आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं। साथ हीं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के आवेदन की कोई समय सीमा नहीं हैं। आप न्यायालय को आवंटन स्वप्रेरणा की या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर रदद् करने का अधिकार हैं चुंकि आवंटन कपट द्वारा प्राप्त किया गया हैं प्रार्थीगण के कब्जे का जानबुझकर नजर अन्दाज किया गया हैं। भूमि अन ऑक्योपाईज्ड नहीं थी व आवंटन नियम विरूद्ध किया गया तथा विपक्षी संख्या 1 आवंटन बाद कभी भी मौके पर कब्जा करने नहीं आया आवंटन शर्तो की पालना नहीं की व आवंटित भूमि का कब्जा वस्तुतः भौतिक रूपेण कभी भी विपक्षी संख्या एक को सिपुर्द नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने कथन के समर्थन में निम्नाकिंत न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1. स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पत्रम जाट व अन्य निर्णय दिनांक 14/05/2014
2. आर.आर.डी. 2013 पेज 779(एच.सी.)
3. आर.आर.डी. 1985 पेज 690
4. आर.आर.टी 2005(1) पेज 634

5. आर.एल.डब्लु.2001(4) राज पेज 114
6. आर.आर.डी. 1993 पेज 485
7. आर.आर.डी. 1990 पेज 465

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया हैं कि उक्त आवंटन विधि सम्मत प्रकिया अपनातें हुए किया गया हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं।उक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय अनुसार किया गया हैं, आवंटन में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। आवंटन 1962 में किया गया हैं, जिस पर आपत्ति करने का अपीलांट को कोई हक अधिकार नहीं हैं। आवंटी द्वारा उक्त विवादित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया गया हैं। जिसके खातेदार भिन्न हो गए हैं। जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगें। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित दृष्टान्त पेश किये गये।

1. आर.आर.टी 2011(1) पेज 270
2. आर.आर.टी 2009(1) पेज 453
3. आर.आर.डी. 2007 पेज 733
4. आर.आर.टी 2014(2) पेज 759

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।उक्त विवादग्रस्त भूमि का राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों के तहत भू–आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर आवंटी श्री भवंरसिंह पिता धुकल सिंह राजपुत को वर्ष 1962 में आवंटन किया गया था। तथा आंवटी को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। तथा उक्त भूमि का बेचान भी किया जा चुका हैं। आवंटन को लगभग 54 वर्ष उपरान्त आवंटन नियम 1970 के 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। चूकिं प्रार्थी के द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं जिससे आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय को विधि विरूद्ध ठहराया जा सकें। साथ ही प्रार्थी द्वारा कभी भी इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा या आवंटन हेतू पूर्व में आवेदन पेश नहीं किया गया। इस प्रकार इतने वर्षो पश्चात प्रार्थी का आवेदन किसी भी आधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। अतः आवंटी का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 आधारहीन होने से खारीज होने योग्य हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) को खारीज किया जाता हैं।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द